

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार),
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून :: दिनांक: 16 ^{मार्च} फरवरी, 2011

विषय:- त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय हेतु धनावंटन के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रधान तथा उपप्रधान को मानदेय दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए कुल धनराशि ₹68931600.00 (₹ छः करोड़ नवासी लाख इक्कतीस हजार छः सौ मात्र) को संलग्नक के अनुसार निम्न लिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- शासनादेश सं0-1674ए/XXVII(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर, 2006 के अनुसार प्रत्येक निर्वाचित प्रधान को रू0 600 प्रतिमास तथा उपप्रधान को रू0 250 प्रतिमास की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- 2- पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-472/06/XII/86 (10)/05 दिनांक 01 जुलाई, 2006 द्वारा निर्गत स्वीकृति इस धनराशि में सम्मिलित है।
- 3- आवंटित धनराशि कोषागार से आहरित करने हेतु बिल जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार कर बिल सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
- 4- आवंटित धनराशि सम्बंधित ग्राम पंचायत को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चैक के माध्यम से सम्बंधित ग्राम पंचायत को 15 दिन के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
- 5- आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सम्बंधित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा।

निदेश
26/3/2011

511
26/3/11

अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किरत अवमुक्त की जायेगी।

6- आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

7-आवंटित धनराशि वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक की अनुदान सं-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं का क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेतर-02-पंचायती राज संस्थाएं-198-ग्राम पंचायतें -05-राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्न- यथोक्त।

भवदीया

(राधा रतूडी)
सचिव, वित्त

संख्या: 168 (1)/XXVII (1)/2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त कुँमाऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड (नैनीताल एवं रुद्रप्रयाग को छोड़कर)।
- 7- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (नैनीताल एवं रुद्रप्रयाग को छोड़कर)।
- 9- खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड (नैनीताल एवं रुद्रप्रयाग को छोड़कर)।
- 10- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या:- 168/XXVII(1)/2011

दिनांक: 16 फरवरी, 2011 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों को (विकास खण्ड स्तर पर) वर्ष 2010-11 हेतु संस्तुत अधिष्ठान अनुदान।

(धनराशि ₹ में)

जनपद का नाम	क्रम	विकास खण्ड का नाम	कुल पंचायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष हेतु कुल अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1-अल्मोड़ा	1	भैसियाछाना	50	510000
	2	भिकियासैण	98	999600
	3	चौखुटिया	99	1009800
	4	धौलादेवी	109	1111800
	5	द्वाराहाट	118	1203600
	6	हवलबाग	125	1275000
	7	लमगड़ा	97	989400
	8	सल्ट	138	1407600
	9	स्याल्दे	93	948600
	10	ताकूला	89	907800
	11	ताडीखेत	130	1326000
		योग:-	1146	11689200
2-बागेश्वर	1	बागेश्वर	181	1846200
	2	गरुड	101	1030200
	3	कपकोट	115	1173000
		योग:-	397	4049400
3-घमोली	1	दशोली	65	663000
	2	देवाल	44	448800
	3	गौरसैण	95	969000
	4	घाट	52	530400
	5	जोशीमठ	52	530400
	6	कर्णप्रयोग	94	958800
	7	नारायणबागड़	70	714000
	8	पोखरी	76	775200
	9	थराली	53	540600
		योग:-	601	6130200
4-घम्पावत	1	बाराकोट	47	479400
	2	घम्पावत	99	1009800
	3	लोहाघाट	65	663000
	4	पाटी	79	805800
		योग:-	290	2958000
5-देहरादून	1	चकराता	97	989400
	2	डोईवाला	47	479400

(धनराशि र में)

जनपद का नाम	क्रम	विकास खण्ड का नाम	कुल पंचायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष हेतु कुल अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
	3	कालसी	97	989400
	4	रायपुर	55	561000
	5	सहसपुर	55	561000
	6	विकासनगर	52	530400
		योग:-	403	4110600
6-हरिद्वार	1	बहादुराबाद	64	652800
	2	भगवानपुर	53	540600
	3	खानपुर	21	214200
	4	लक्सर	48	489600
	5	नारसन	58	591600
	6	रुड़की	58	591600
		योग:-	302	3080400
7-पौड़ी	1	बीरोंखाल	102	1040400
	2	दुगड़डा	99	1009800
	3	द्वारीखाल	99	1009800
	4	एकेश्वर	83	846600
	5	कल्जीखाल	87	887400
	6	खिर्सू	43	438600
	7	कोट	68	693600
	8	लैसडाऊन	74	754800
	9	नैनीडांडा	89	907800
	10	पाबो	74	754800
	11	पौड़ी	64	652800
	12	पोखड़ा	57	581400
	13	रिखणीखाल	81	826200
	14	थलीसैण	102	1040400
	15	यमकेश्वर	86	877200
		योग:-	1208	12321600
8-पिथौरागढ़	1	बेरीनाग	88	897600
	2	धारधूला	56	571200
	3	डीडीहाट	67	683400
	4	गगोलीहाट	122	1244400
	5	कनालीछीना	88	897600
	6	मुनाकोट	74	754800
	7	मुनस्यारी	93	948600
	8	पिथौरागढ़	81	826200
		योग:-	669	6823800
9-टिहरी गढ़वाल	1	भीलंगना	178	1815600
	2	चम्बा	99	1009800

(धनराशि-रु में)

जनपद का नाम	क्रम	विकास खण्ड का नाम	कुल पंचायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष हेतु कुल अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
	3	देवप्रयाग	111	1132200
	4	जाखणीधार	90	918000
	5	जौनपुर	124	1264800
	6	कीर्तिनगर	82	836400
	7	नरेन्द्रनगर	111	1132200
	8	प्रतापनगर	98	999600
	9	धौलधार	86	877200
		योग:-	979	9985800
10-ऊधमसिंह नगर	1	बाजपुर	39	397800
	2	गदरपुर	43	438600
	3	जसपुर	43	438600
	4	काशीपुर	28	285600
	5	खटीमा	55	561000
	6	रुद्रपुर	45	459000
	7	सितारगंज	56	571200
		योग:-	309	3151800
11-उत्तरकाशी	1	भटवाडी	77	785400
	2	चिन्चालीसौंड	74	754800
	3	डुण्डा	88	897600
	4	मोरी	62	632400
	5	नौगाँव	113	1152600
	6	पुरोला	40	408000
		योग:-	454	4630800
		महायोग:-	6758	68931600

(रु० छः करोड़ नवासी लाख इक्कतीस हजार छः सौ मात्र)

(साधा रतुड़ी)
सचिव, विल्ला